



Avient की वैश्वकि रश्वतखोरी-रोधी एवं भ्रषुटाचार-रोधी नीतर्



जारी कथिया: 1 जुलाई, 2020

वषिय-सूची

हमारी वैश्विक रशिवतखोरी-रोधी एवं भ्रष्टाचार-रोधी नीति	1
अनुपालन का महत्त्व	1
हमारी जम्मेदारी	1
रशिवत क्या है?	2
सरकारी अधिकारियों की रशिवत	2
वाणजियिक रशिवतखोरी	3
सुवधित्मक भुगतान और ककिबैक	3
एजेंटों, वतितरकों और अन्य तृतीय पक्षों के साथ कास्य करना	3
समुचति जाँच-पडताल और अनुमोदन प्रक्रिया	3
खतरे के संकेत	4
लेखांकन एवं अभलिख रखने संबंधी आवश्यकताएं	4
संभावति उल्लंघनों की सूचना देना	4
Avient एथकिस हॉटलाइन	5
प्रतशिोध से सुरक्षा	5
त्वरति संदर्भ: एबीएसी की करने-योग्य और न-करने-योग्य बातें	6

हमारी वैश्विक रश्वतखोरी-रोधी एवं भ्रष्टाचार-रोधी नीति

Avient अपने सभी व्यापारिक प्रचालनों में धोखाधड़ी, रश्वतखोरी एवं अन्य भ्रष्ट व्यापारिक कार्यप्रथाओं को सख्त तौर पर नषिद्ध करती है। यह नीति Avient और उसकी सहायक कंपनियों में हर किसी पर लागू होती है जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं एजेंट और Avient की ओर से कार्य करने वाले अन्य तृतीय पक्ष शामिल हैं। जिस भी व्यक्तिके बारे में यह ज्ञात होगा क्विह रश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में संलग्न रहा है, Avient उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी जिसमें से वा-समाप्तिक शामिल है।

Avient ने उपयुक्त मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, अनवेषण और नगिरानी के जरिए इस नीतिके कार्यान्वयन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम विकसित किया है। कॉर्पोरेट नैतिकता अधिकारी, वधिविभाग के साथ संयोजन में, इस नीतिके व्याख्या एवं अनुप्रयोजन के लिए सलाह देने हेतु, प्रशिक्षण एवं शक्तिषण में सहायता देने हेतु और सूचित चिंताओं पर प्रतिक्रिया देने हेतु उत्तरदायी है।

इस नीति में नषिद्ध, भ्रष्ट व्यावसायिक गतिविधियों में रश्वत, सरलीकरण भुगतान, कक्किबैक, अनुचित या अत्यधिक उपहार या मनोरंजन, या किसी अनुचित व्यापार लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी भी मूल्य का कुछ दिया जाना या पेश किया जाना शामिल है लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। इस प्रकार की भ्रष्ट व्यावसायिक गतिविधियाँ उस हर व्यक्ति पर लागू होती हैं जिसके साथ हम व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं। किसी मूल्यवान वस्तु का प्रस्ताव करने का अर्थ, पॉलीवन के व्यापार के संचालन से सीधे तौर पर संबंधित उपहारों, व्यापारिक मनोरंजन एवं अन्य कानूनी गतिविधियों पर होने वाले उचित व सीमित, वधिसम्मत वय नहीं समझा जाना चाहिए।¹

अनुपालन का महत्त्व


भले ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करते हों, रश्वत-रोधी, भ्रष्टाचार-रोधी (एबीएसी) कानून हमारे व्यवसायों पर लागू होते हैं, जिसमें वदेशी भ्रष्टाचार व्यवहार अधिनियम (एफसीपीए) और यूके रश्वत अधिनियम शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं। जब क्विह्यक्तगत देश के कानून अलग-अलग होते हैं, ये

कानून भ्रष्टाचार या रश्वत के किसी भी रूप में संलग्न होने को अवैध बनाते हैं और कंपनियों के लिए उचित विवरण में पुस्तकों, रिकॉर्ड और खातों को रखना आवश्यक बनाते हैं। इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप Avient की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, गंभीर दंड और कैद हो सकती है। उस प्रत्येक देश में जहाँ हम व्यापार करते हैं एबीएसी कानूनों का अनुपालन करना और जिन देशों में रश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का खतरा अधिक हो सकता है वहाँ उससे निपटने के दौरान हमारी जागरूकता और त्वज्जो को बढ़ाना बहुत जरूरी है।

हमारी ज़िम्मेदारी

Avient के सभी अधिकारी, सहयोगी, और Avient की ओर से कार्य करने वाले तृतीय पक्ष इस नीतिके समझने और उसका पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं और उनमें से प्रत्येक का दायित्व है कि:

- नीतिके लागू पक्षों से परिचित होना और उन्हें अपने से नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों तक पहुँचाना
- यदि नीतिया किसी स्थिति विशेष में की जाने वाली कार्रवाई अस्पष्ट हो तो प्रश्न पूछना
- तृतीय-पक्षों के माध्यम से संचालित व्यापारिक गतिविधियों का उचित ढंग से प्रबंधन एवं नगिरानी करना
- संभावित गलत कार्यों के संकेतों या प्रमाणों के प्रति सतर्क रहना
- उल्लंघनों या संदिग्ध उल्लंघनों की सूचना उपयुक्त चैनलों के माध्यम से तुरंत देना



ABAC कानून किसी भी कंपनी या व्यक्ति के लिए, व्यापार को सुरक्षित रखने या करने या कुछ अन्य अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए,² किसी भी व्यक्ति को किसी भी मूल्य की वस्तु के प्रस्ताव, वादे, भुगतान या भुगतान के लिए अधिकृत करने को गैरकानूनी बनाते हैं। पेशकश या भुगतान चाहे प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, यह नषिध हर स्थिति में लागू होता है।

¹ आपके प्रस्तावित वय को अनुमति है या नहीं यह पता करने के लिए Avient की आचार संहिता और हमारी उपहार व मनोरंजन नीतिके उपहार एवं सत्कार अनुभाग को देखें।

² इसमें कोई भी सरकारी अधिकारी और/या नज्जि क्षेत्र का कर्मचारी शामिल है

वधिय-सूची

एबीएसी कानूनों का पालन करने के लिए, Avient की ओर से काखरत किसी भी सहयोगी या तीसरे पक्ष को कभी भी किसी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी प्रकार का उपहार, मनोरंजन या किसी भी मूल्य की कोई वस्तु की पेशकश नहीं करनी चाहिए या किसी से स्वीकार नहीं करनी चाहिए जहाँ रश्वत का मतलब है:

- क्यापार प्राप्त करना या बनाए रखना
- क्यापारिक नरिण्यों को प्रभावित करना
- अनुचित लाभ/बढ़त सुनिश्चित करना

एबीएसी कानून क्यापक है और बहुत क्यापक रूप से इसकी क्याख्या की जा सकती है। उल्लंघन तब भी हो सकते हैं यदि:

- कोई भ्रष्ट मनोरथ न हो
- भुगतान, उपहार या सत्कार की केवल पेशकश की गई है या वचन दिया गया है और उसे वास्तव में किया/दिया नहीं गया है
- भुगतान किया गया है पर वह अपना वांछित परिणाम पाने में विफल रहा है
- परिणामों से उसे देने वाले को नहीं बल्कि किसी अन्य को लाभ मिला है (उदाहरण के लिए, क्यापार किसी तृतीय पक्ष को पहुँचा देना)
- क्यक्ती ने रश्वत का सुझाव दिया था या माँग की थी
- कंपनी को लगता है कि वह कृत्य/कार्रवाई या लाभ के लिए पहले से पात्र है
- जब किसी क्यक्ती को “यह जानकारी होनी चाहिए” रश्वतखोरी हो रही है

रश्वत क्या है?

किसी अन्य क्यक्ती के कृत्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्य की वस्तु या कोई अन्य लाभ की पेशकश करना या देने का वचन देना, या देना, या दिए जाने को अधिकृत करना “रश्वत” कहलाता है। रश्वत में नमिनांकित शामिल हो सकते हैं:

- नकदी और नकदी के समतुल्य (गफिट कार्ड या गफिट प्रमाणपत्र)
- मनोरंजन, आतिथ्य और सत्कार जहाँ कोई स्पष्ट क्यावसायिक उद्देश्य नहीं है या वे उचित क्यावसायिक आवश्यकताओं से परे हैं
- यात्रा के खर्च का भुगतान या छुट्टियाँ प्रदान करना
- किसी सरकारी अधिकारी को कोई लागू सीमा शुल्क आवश्यकता को अनदेखा करने या किसी कर वापसी (टैक्स रफिंड) की गति बढ़ाने के लिए भुगतान करना
- क्यक्तीगत सेवाएं, अनुग्रह या ऋण

- क्यक्ती के किसी परजिन या मतिर के लिए नयिकृतीया अन्य लाभों की पेशकश
- राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को चंदे
- परोपकारी चंदे और प्रायोजन

अन्य कम स्पष्ट वस्तुओं का भी उल्लंघन हो सकता है। उदाहरणों में नमिन् शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

- वस्तु के रूप में योगदान
- नविश अवसर
- संयुक्त उद्यमों में पद
- अनुकूल या स्टीयरिंग उपठेके

कोई वस्तु चाहे सीधे अधिकारी को लाभ पहुँचाए या किसी अन्य क्यक्ती जैसे किसी परजिन, मतिर या क्यापारिक सहयोगी को, यह नविध लागू होता है।



सरकारी अधिकारियों की रश्वत

सरकारी अधिकारी कौन है?

“सरकारी अधिकारी” वस्तुतः ऐसा कोई भी क्यक्ती हो सकता है जो सरकारी प्राधिकार का प्रयोग करता है या जो किसी सरकारी स्वामित्वाधीन या सरकारी नियंत्रणाधीन इकाई/संस्था/कंपनी के लिए काख करता है या उसका एजेंट है। रश्वतखोरी-रोधी कानूनों के प्रयोजन से, सरकारी अधिकारियों में नमिनांकित शामिल हैं:

- सरकार (संघीय, राज्य या स्थानीय), विभाग या एजेंसी के अधिकारी एवं कर्मचारी
- सरकार, विभाग या एजेंसी के लिए या उसकी ओर से आधिकारिक क्षमता में काख कर रहा कोई भी क्यक्ती
- राजनैतिक दल, राजनैतिक दलों के अधिकारी, एवं किसी सार्वजनिक पद के प्रत्याशी
- आंशिक रूप से स्वामित्व वाली संस्थाओं सहित सरकारी/राज्य-स्वामित्व या सरकार/राज्य-नियंत्रित वाणिज्यिक उद्यमों के अधिकारी और कर्मचारी
- सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र आदि, के अधिकारी एवं कर्मचारी

सरकारी अधिकारी की पहचान अक्सर स्पष्ट हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी-कभी, क्यक्तिस्वयं को अधिकारियों नहीं भी मान सकते हैं या हो सकता है कि उनकी अपनी सरकारें उनके साथ ऐसा बर्ताव न करें, लेकिन वे फिर भी ऊपर बताई गई सरकारी अधिकारी की परिभाषा को पूरा कर सकते हैं। Avient के सहयोगी यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या प्रस्तावित गतिविधि में सरकारी अधिकारी शामिल है और स्वीकार्य है और यदि कोई प्रश्न या चिंता है तो कानूनी विभाग से परामर्श करना चाहिए।

वाणज्यिक रश्वतखोरी

सरकारी अधिकारियों की रश्वतखोरी को नषिद्ध करने के अलावा, Avient हमारे वाणज्यिक सौदों में भी रश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को नषिद्ध करती है। सहयोगियों को Avient के लिए अनुचित ढंग से व्यापार प्राप्त करने या कोई अनुचित बढ़त/लाभ हासिल करने के लिए मौजूदा या संभावित ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य तृतीय पक्षों को कोई भी मूल्यवान वस्तु की पेशकश नहीं करनी चाहिए और न ही उनसे ऐसी कोई वस्तु स्वीकारनी चाहिए। सत्यनिष्ठा हेतु हमारी प्रतिष्ठा, अन्य व्यक्तियों एवं संगठनों के साथ अनुचित ढंग से सौदे करके होने वाले संभावित लाभों से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

सुवधात्मक भुगतान और ककिबैक

सुवधात्मक भुगतान, किसी प्रकार की गतिविधिको मंजूरी को सुवधात्मक बनाने (शीघ्र करने) के लिए सरकारी अधिकारी को दिया जाने वाला अनौपचारिक शुल्क है। सुवधात्मक भुगतान कानूनी और गैर-कानूनी के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है क्योंकि उन्हें रश्वत के रूप में समझा जा सकता है। ककिबैक आम तौर पर सामानों के भुगतान से निकाली गई, बातचीत द्वारा तय की गई राशियाँ होती हैं और रश्वत लेने वाले को वापस की जाती है।

Avient सरकारी अधिकारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं या अन्य व्यावसायिक भागीदारों को किसी भी प्रकार के सुवधा भुगतान या ककिबैक की पेशकश नहीं करता या उनसे ये स्वीकार नहीं करता। सहयोगी और तीसरे पक्षों को किसी भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जो इसका कारण बनती हो या यह सुझाती हो कि Avient एक भुगतान सुवधा या ककिबैक करेगा या स्वीकार करेगा। ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ सुवधात्मक भुगतान या ककिबैक से बचना हमारे सहयोगी की (या उनके परिवारों की) क्यक्तितगत सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता है। इन परिस्थितियों में, कॉर्पोरेट एथिक्स ऑफिसर (ethics.officer@avient.com) या जनरल काउंसल (legal.officer@avient.com) को तुरंत संपर्क करें।

एजेंटों, वतिरकों और अन्य तृतीय पक्षों के साथ कार्य करना

Avient अपनी व्यापारिक गतिविधियों में सहयोग के लिए समय-समय पर किसी एजेंट, वतिरक, परामर्शदाता या अन्य मध्यस्थ की सेवाएं ले सकती है, या किसी संयुक्त उपक्रम अथवा अन्य व्यापारिक संरचना में व्यापारिक साझेदारों के साथ सहभागिता कर सकती है। ये संबंध Avient के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और व्यवसाय के कई क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। वे अनुपालन चुनौतियों को जोखिम में भी डाल सकते हैं, इसलिए Avient को रश्वतखोरी से बचने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

चाहे रश्वत सीधे किसी संस्था को दी जाए या किसी एजेंट, परामर्शदाता या अन्य मध्यस्थ के माध्यम से, अधिकांश रश्वत-रोधी कानून सभी स्थितियों में लागू होते हैं। एक कंपनी के रूप में Avient और अलग-अलग अधिकारियों व कर्मचारियों को, किसी एजेंट या अन्य मध्यस्थ द्वारा किए गए अनुचित भुगतान के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है यदि उन्हें रश्वत का भुगतान किए जाने की वास्तविक जानकारी है या ऐसे भुगतान की जानकारी होने का कारण मौजूद है। जानबूझ कर अनजान बनना—जहाँ संदिग्ध परिस्थितियाँ होने पर उचित जाँच न करना शामिल है—एक बचाव नहीं है।

इस कारण से, यह महत्त्वपूर्ण है कि Avient संलग्न करने से पहले और संबंध बने रहने के दौरान, एजेंटों और अन्य तृतीय पक्षों की समुचित जाँच-पड़ताल करे।

समुचित जाँच-पड़ताल और अनुमोदन प्रक्रिया

किसी बकिरी एजेंट, वतिरक या किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ मौजूदा समझौते में संलग्न होने या इसे नवीनीकृत करने से पहले, कानूनी समीक्षा और अनुमोदन प्राप्त करना होगा। उचित जाँच-पड़ताल की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए अपने कानूनी भागीदार से संपर्क करें, और यह सुनिश्चित करें कि आपको किसी भी एजेंट या तीसरे पक्ष के साथ काम करने से पहले लिखित स्वीकृति मिल गई है। तृतीय पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे एबीएसी कानूनों का अनुपालन करने के लिए संवदात्मक रूप से सहमत हों। अनुपालन प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कुछ तृतीय पक्षों की भी आवश्यकता हो सकती है।

इस जोखिम को न्यूनतम करने के लिए, Avient को किसी भी तृतीय-पक्ष संबंध में प्रवेश करने से पहले कुछ कारकों पर विचार करना होगा, और सभी तृतीय पक्षों को नमिनांकित मानकों को पूरा करना होगा:

- प्रतिष्ठिति – इसे आवश्यक अनुभव है एवं विशेषज्ञ है

- वशि्वसनीय - क्यावसायकि संदर्भ वशिषज्जता के तीसरे पक्ष के दावों का समर्थन करते हैं
- वत्तीय रूप से स्थरि - प्रतबिद्धताओं की पूरुतके लिए पर्याप्त संसाधन
- नैतिकि और कानूनी क्यावहार - रशि्वत-रोधी कानूनों सहति सभी लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रतबिद्ध; तथा
- अभसि्वीकृत—इस नीतिका अनुपालन करने की अभसि्वीकृता एवं एक करार नशिपादति करता है

खतरे के संकेत

हमारे एजेंटों और अन्य तृतीय पक्षों (संयुक्त उद्यम भागीदारों सहति) की कार्रवाइयों के लिए एबीएसी कानून के तहत Avient को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि आपको उचिति संदेह है कि एजेंट या अन्य तृतीय पक्ष ने शायद रशि्वत दी है और उन्हें भुगतान करने से रोकने के लिए उचिति कदम नहीं उठाते हैं या अपने कानूनी साथी को सूचिति नहीं करते हैं, तो Avient को कथति रूप से रशि्वत को अधकृत करते हुए माना जा सकता है। कुछ खतरे के संकेत जनिसे सतरक रहना है, वे इस प्रकार हैं:

- तृतीय-पक्ष भ्रष्टाचार के उच्च स्तरों वाले देश में स्थति है या क्यापार कर रहा है
- ग्राहक, आपूरतकिरता या तीसरा पक्ष
 - एबीएसी कानूनों के अनुपालन के बारे में संवदिात्मक अभ्यावेदन पर एतराज करता है
 - अनुबंध सीमति प्रतयिगतिता चाहता है
 - सरकार या Avient प्रबंधन द्वारा आवश्यक अनुमोदन से बचने के लिए, एक खरीद को छोटी-छोटी खरीदों में वभिाजति करता है
 - किसी सरकारी अधिकारी या एक अधिकारी के नकिट संबंधी किसी के पास स्वामतिव या प्रबंधन है
 - ऑफ-बुक मूल्य या नकद समायोजन के लिए कहता है
 - Avient को उचिति जाँच-पड़ताल के लिए आवश्यक वविरण प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है
- आपूरतकिरता या अन्य तृतीय पक्ष
 - क्याकृतगित या वदिश स्थति बैंक के खाते में भुगतान का अनुरोध करता है
 - उत्पाद, क्षेत्र या उद्योग और योग्य स्टाफ के मामले में अनुभव का अभाव है
 - वसितुत कास्य ब्यौरे पर एतराज जताता है

लेखांकन एवं अभलिख रखने संबंधी आवश्यकताएं

अधकिांश एबीएसी कानूनों के तहत, Avient और उसके सहयोगियों को सटीक और वसितुत पुस्तकें और रकिॉर्ड रखना चाहिए और आंतरकि नयितरण की पर्याप्त व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए। ये आवश्यकताएं हमारे सभी स्थानों में हमारी सभी क्यावसायकि गतविधियों पर लागू होती हैं और Avient के मानक लेखांकन नयिमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्रयानवति की जाती हैं। सभी सहयोगियों को, बिना किसी अपवाद के इन नयिमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

Avient किसी भी "ऑफ दबुक" या "सलश फंड" खातों को स्थापति या उपयोग करने की अनुमतनिहीं देता है। "खुदरा नकदी" फंड की भी अनुमतनिहीं है। जब ले नदे नों में सरकारी अधिकारियों को भुगतान शामिल हो सकते हों तो वशिष सावधानी बरतनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को कएि गए सभी भुगतानों की शीघ्रता से सूचना दी जानी चाहिए और उन्हें प्रयोजन, राशि एवं अन्य संबंधति कारकों के संबंध में अभलिखति और शामिल करना चाहिए। झूठी इनवॉइसों या ऐसे व्ययों जो असामान्य, अत्यधिक या अपर्याप्त रूप से वर्णति हैं, के भुगतानों के अनुरोधों को अस्वीकृत कर देना चाहिए और शीघ्रता से उनकी सूचना दी जानी चाहिए। Avient की बहियों और अभलिखों में भ्रामक, अपूरण या मथिया प्रवशिष्टियां कभी-भी स्वीकार्य नहीं हैं।

संभावति उल्लंघनों की सूचना देना

हर उस कर्मचारी, जिसके पास यह मानने का कारण है कि इस नीतिका उल्लंघन हुआ है या हो सकता है, नीचे के सभी संसाधनों में से किसी एक या सभी को अपनी चति के बारे में तुरंत सूचिति करना चाहिए ताकि पूरी तरह से जांच की जा सके।

- आपके सुपरवाइज़र या कोई भी Avient प्रबंधक
- कॉर्पोरेट नैतिकता अधिकारी, इस ईमेल पर ethics.officer@polyone.com
- पॉलीवन के महाधक्ता, इस ईमेल पर legal.officer@polyone.com
- वधि विभाग का कोई भी सदस्य
- द Avient एथकिक्स हॉटलाइन

Avient एथिक्स हॉटलाइन

द एथिक्स हॉटलाइन, फोन पर, एक वेबसाइट के जरिये सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे 20 भाषाओं में पूरे विश्व में उपलब्ध है। एक स्वतंत्र कंपनी एथिक्स हॉटलाइन पर समस्त वेबसाइट एवं फोन की सूचनाएं प्राप्त करती है और जानकारी को कॉर्पोरेट नैतिकता अधिकारी को भेज देती है। सभी रिपोर्टें अधिकतम संभव सीमा तक गोपनीय रखी जाएंगी। एथिक्स हॉटलाइन वेबसाइट को avient.ethicspoint.com पर खोजा जा सकता है। इस वेबसाइट से आप शिकायत या पूछताछ कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर सूचीबद्ध देश वशिष्ट टेलीफोन नंबरों में से किसी पर भी तृतीय पक्ष हॉटलाइन को कॉल करके ऐसा कर सकते हैं। ऐसी किसी भी चर्चा की सूचना देते समय जिसमें कोई भुगतान शामिल हो, कृपया नमिनांकित जानकारी शामिल करें (इन विवरणों से आपके अवगत होने की अधिकतम सीमा तक):

- भुगतान की राशि एवं प्रयोजन
- भुगतान करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा क्यापार लाइन
- वे परस्थितियां जिनके तहत भुगतान किया गया था
- भुगतान की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान

प्रतिशोध से सुरक्षा

इस नीतिके उल्लंघन या संभावित उल्लंघन की सदाशय से सूचना देने वाले किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी रूप में प्रतिशोधी कार्रवाई सख्त रूप से निषिद्ध है। जो सहयोगी इस नीतिके उल्लंघन करते हैं वे अनुशासनात्मक कार्रवाई की शर्तों के अधीन होंगे, जिसमें बर्खास्तगी तक शामिल है।

त्वरति संदरभः एबीएसी की करने-योग्य और न-करने-योग्य बातें

करने-योग्य बातें

- यह जान लें कि Avient रशिवत और भ्रष्टाचार के किसी भी रूप को प्रतबिंधति करता है और सुवधि भुगतान की अनुमति नहीं देता है
- हमारी एबीएसी नीतियों के लागू पक्षों से परचिति होना और उन्हें अपने से नीचे काख करने वाले कर्मचारियों और तृतीय पक्षों तक पहुँचाना
- यदनीतिया की जाने वाली कार्रवाई अस्पष्ट हो तो प्रश्न पूछना
- अपने पखवेक्षक, कानूनी वभिाग या एथकिस् हॉटलाइन के तुरंत उल्लंघन या संदग्धि उल्लंघन की रपिर्ट करना
- जान लें कि "मूल्य" को अवशय करके मौद्रकि शब्दों में नहीं मापा जाता है
- जान लें कि रशिवत में नमिनलखिति शामिल हो सकते हैं:
 - नकदी और नकदी के समतुल्य (गफिट कार्ड या गफिट प्रमाणपत्र)
 - मनोरंजन, आतथिय और सत्कार जहां कोई स्पष्ट क्यावसायकि उद्देश्य नहीं है या वे उचति क्यावसायकि आवश्यकताओं से परे हैं
 - यात्रा के खर्च का भुगतान या छुट्टियां प्रदान करना
 - किसी सरकारी अधिकारी को कोई लागू सीमा शुल्क आवश्यकता को अनदेखा करने या किसी कर वापसी (टैक्स रफिंड) की गति बढ़ाने के लिए भुगतान करना
 - क्यक्तगित सेवाएं, अनुग्रह या ऋण
 - क्यक्ति के किसी प्रभावशाली परजिन या मतिर के लिए नयुक्ति या अन्य लाभों की पेशकश
 - राजनैतिक दलों और प्रतयाशयियों को चंदे
 - परोपकारी चंदे और प्रायोजन
 - अन्य कम स्पष्ट वस्तुओं में शामिल वस्तुपरक योगदान, नविश के अवसर और अनुकूल या स्टीयरगि उप-नरिमाण
- जान लें कि कोई वस्तु चाहे सीधे अधिकारी को लाभ पहुँचाए या किसी अन्य क्यक्ति जैसे किसी परजिन, मतिर या क्यापारकि सहयोगी को, यह नषिध लागू होता है।
- बहयियों, अभलिखों और खातों को उचति वविरण में रखें, और लेन-देन को सही और नषिपक्ष रूप से प्रतबिबिति करें
- एजेंटों, वतिरकों और अन्य तृतीय पक्षों पर संलग्न होने से पहले और संबंध के दौरान उचति जाँच-पड़ताल का संचालन करें और कानूनी वभिाग की मंजूरी प्राप्त करें
- तृतीय-पक्षों के माध्यम से संचालति क्यापारकि गतिविधियों का उचति ढंग से प्रबंधन एवं नगिरानी करें

न-करने-योग्य बातें

- Avient को क्यापार हासलि करने या बनाए रखने या कोई अन्य अनुचति क्यापारकि बढत सुनश्चिति करने में मदद करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी और/या नजिी क्षेत्र के कर्मचारी को कोई मूल्यवान वस्तु देने की पेशकश करना, उसका भुगतान करना या उसके भुगतान को प्राधकित करना। पेशकश या भुगतान चाहे प्रतयक्ष रूप से कया गया हो या किसी अन्य क्यक्ति के माध्यम से, यह नषिध ह स्थिति में लागू होता है।
- Avient की बहयियों और अभलिखों में भ्रामक, अपूर्ण या मथिया प्रवषिटियां करना
- तृतीय पक्षों के साथ काख-क्यवहार करते समय खतरे के संकेतों को नज़र-अंदाज़ करना



www.avient.com

उत्तरी अमेरिका
वैश्विक मुख्यालय एवन लेक, संयुक्त
राज्य अमेरिका

33587 वॉकर रोड एवन लेक, OH,
संयुक्त राज्य अमेरिका
44012

टोल फ्री: +1 866 765 9663
फोन: +1 440 930 1000
फैक्स: +1 440 930 3064

एशिया प्रशांत
प्रक्षेत्रीय मुख्यालय शंघाई, चीन

2F, ब्लॉक C 200 जन्सू रोड
पुडोंग, 201206 शंघाई, चीन

दूरभाष: +86 (0) 21 6028 4888
फैक्स: +86 (0) 21 6028 4999

दक्षिण अमेरिका
प्रक्षेत्रीय मुख्यालय साओ पॉलो,
ब्राज़ील

Av. फ्रांससिको नाकासटो, 1700
13295-000 इटुपेवा साओ पॉलो,
ब्राज़ील

दूरभाष: +55 11 4593 9200

यूरोप
प्रक्षेत्रीय मुख्यालय पोमरलोक,
लक्समबर्ग

19 रूट दे बास्टोर्ने पोमरलोक,
लक्समबर्ग, L-9638

दूरभाष: +352 269 050 35
फैक्स: +352 269 050 45